अप्रैल 2026, वर्ष-1, अंक-10 पृष्ठ-40, मूल्य-50 / -रूपये

RNI NO. CTBIL/25/A1634

CHATURPOST

खबर वार्ता

Bilaspur

Raipur

छत्तीसगढ़ में 'समान न्याय' की दस्तक

एक राज्य, एक कानून की ओर बढ़ते कदम

नारी शक्ति के सम्मान में भाजपा का 'हल्ला बोल'...पेज 16

हमारी जनगणना-हमारा विकास' के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ तैयार... पेज 22

Naxalite encounter छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़: 12 लाल आतंकी ढेर, तीन जवानों की भी बलिदानी, दो घायल

December 3, 2025

Cabinet विष्णुदेव साय कैबिनेट का निर्णय:बिजली बिल हाफ योजना के दायरे में 400 यूनिट वाले भी, जानिए- और क्या हुआ निर्णय

Holidays in December 2026 दिसंबर 2026 में शासकीय अवकाश: जानिए- साल के अंतिम महीने में कितने दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय

December 1, 2025

PM Modi प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री, राज्यपाल, सीएम ने किया स्वागत

November 28, 2025

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शाह ने इन्हें बताया देश के लिए नजूर: जानिए- किन तीन थानों को केंद्रीय गृह मंत्री ने किया पुरस्कृत

November 28, 2025

chaturpost खबरवार्ता की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें या सर्च करें

https://chaturpost.com/

CHATURPOST
खबर वार्ता

13

'संवैधानिक ढाल' बनाम 'सामाजिक समानता' की जंग

एक ओर आदिवासियों के अस्तित्व और जमीन पर खतरे का डर, तो दूसरी ओर 'शरीयत नहीं, संविधान' से देश चलाने की हुंकार। पढ़ें, यूसीसी पर छिड़े सियासी घमासान का पूरा विश्लेषण।

संपादक
शिवानी

प्रबंध संपादक
सुभाष श्रीवास्तव

मार्केटिंग व प्रसार
आशीष वर्मा

विधिक सलाहकार
मो. अजीज हुसैन
मो.93002-05215

ग्राफिक्स लेआउट डिजाइनर
कादिर खान

कार्यालय
रामा भवन बिलासपुर रोड
भनपुरी रायपुर -493221
वाट्सएप- 7587266011

प्रकाशक एवं मुद्रक शिवानी द्वारा
रामा भवन बिलासपुर रोड
भनपुरी रायपुर से प्रकाशित व
आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्रालि.
जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित
RNI-CTBIL/25/A1634
www.chaturpost.com

कवर स्टोरी

06 छत्तीसगढ़ में 'समान न्याय' की दस्तक: एक राज्य, एक कानून की ओर बढ़ते कदम

छत्तीसगढ़ की सियासत और सामाजिक ढांचे में एक युगांतकारी परिवर्तन की नींव रख दी गई है। राज्य सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' लागू करने की दिशा में अपने इरादे साफ कर दिए हैं।...

कवर स्टोरी

08 जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई: छत्तीसगढ़ यूसीसी की सूत्रधार, जिनके फैसलों ने बदला देश का चेहरा

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई देश की उन प्रतिष्ठित कानूनी हस्तियों में शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं।...

कवर स्टोरी

10 यूसीसी के दो 'मॉडल': उत्तराखंड का साहस और गुजरात का आधुनिक संकल्प

देश के तीन राज्यों में यूसीसी लागू है। इनमें गोवा में काफी पहले से यह कानून है। दो राज्यों उत्तराखंड और गुजरात में कुछ वर्ष पहले लागू किया गया है।...

अधिनियम पर सियासत

14 संसद में संग्राम और गिर गया 'नारी शक्ति' का संकल्प

भारतीय संसदीय इतिहास में शुक्रवार का दिन अप्रत्याशित रहा। जिस 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर देश भर में आस थीं, वह लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल न कर पाने के कारण गिर गया।...

18 कैबिनेट निर्णय

विष्णुदेव साय सरकार का 'संकल्प-सिद्धि' निर्णय:...

20 नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में 'सहकारी क्रांति': अब गांव की चौपाल पर ही खुलेंगे समृद्धि के द्वार

21 शिक्षा को उड़ान

शिक्षा का 'साय': छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई इबारत...

24 विकास

बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार: 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

26 औद्योगिक त्रासदी

'पावर प्लांट' बना काल: वेदांता हादसे की दहला देने वाली दास्तां

32 मील का पत्थर

भारत का औषधिक उद्योग अब रणनीति पैमाने से नवाचार की ओर

36 टेक अपडेट

क्या फीकी रहेगी iPhone 18 की चमक? ...

जनता के भरोसे का डगर है सुशासन तिहार

हर बार सुशासन तिहार को तीन चरणों में मनाया जाता है। पहले चरण में तय तारीख तक जनता से आवेदन लिए जाते हैं और फिर दूसरे चरण में इन आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। आखिरी चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन्हीं शिविरों के बीच सीएम का गांवों का आकस्मिक दौरा शुरू हो जाता है। सीएम सचिवालय के अफसरों की निगरानी में दौरों का शेड्यूल बनता है और सीएम का उड़नखटोला उसी हिसाब से गांवों में उतरता है। एक दिन पहले तक केवल जिले का नाम सार्वजनिक किया जाता है, उस हिसाब से वहां का प्रशासन चौकस रहता है। ग्रामीणों के बीच एकाएक सीएम पहुंचते हैं और गैरराजनीतिक तरीके से इसका आयोजन होता है। हर दौरे में सीएम वहां की जरुरतों के हिसाब से घोषणा करते हैं, इस तरह गांवों को सौगात भी मिल जाती है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद रमन सरकार के पहले कार्यकाल से ही गांव चलो अभियान चल रहा है। समय- समय पर सरकार का कार्यकाल और सरकार बदलने पर इसका नाम भले ही बदला जाता रहा, मगर काम यही होता आया है। भाजपा सरकार की इस कार्य संस्कृति को भूपेश बघेल सरकार ने भी अपनाया था। इस बार विष्णु देव साय सरकार सुशासन तिहार के नाम से गांव तक पहुंचने जा रही है। सुशासान तिहार से जनता की समस्याओं या मांगों का कितना समाधान होता है, यह अलग विषय है। जनता की बातों को कोई तो सुनने वाला है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते साल एक निजी एजेंसी के सर्वे में भी यह बात आयी थी कि सीएम विष्णु देव साय का केवल छह माह के अंतराल में जनता में भरोसा बढ़ गया था। सुशासन तिहार और विकास योजनाओं ने सीएम साय को सर्वे में ऊंचा स्थान दिया था। काम के प्रति संतोष होना ही किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना माना जाता है। अब एक बार फिर से एक मई से 30 जून 2026 तक सुशासन तिहार का आगाज होने जा रहा है। इसमें सीएम खुद गांव तक पहुंच कर जनता के बीच रहेंगे, इससे पहले हर जिले में जनता से उनकी मांगों और समस्याओं पर आवेदन लिए जाएंगे। इस अभियान का बड़ा फायदा यह होता है कि जिलों में सरकारी तंत्र की कमियां उजागर होने से प्रशासनिक सुधार का मौका मिलता है। सरकार की संवेदनशीलता से जनता को निकटता महसूस होती है और मोदी की गारंटी जैसे जुमलों की सार्थकता साबित होती है। हर बार सुशासन तिहार को तीन चरणों में मनाया जाता है। पहले चरण में तय तारीख तक जनता से आवेदन लिए जाते हैं और फिर दूसरे चरण में इन आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। आखिरी चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन्हीं शिविरों के बीच सीएम का गांवों का आकस्मिक दौरा शुरू हो जाता है। सीएम सचिवालय के अफसरों की निगरानी में दौरों का शेड्यूल बनता है और सीएम का उड़नखटोला उसी हिसाब से गांवों में उतरता है। एक दिन पहले तक केवल जिले का नाम सार्वजनिक किया जाता है, उस हिसाब से वहां का प्रशासन चौकस रहता है। ग्रामीणों के बीच एकाएक सीएम पहुंचते हैं और गैरराजनीतिक तरीके से इसका आयोजन होता है। हर दौरे में सीएम वहां की जरुरतों के हिसाब से घोषणा करते हैं, इस तरह गांवों को सौगात भी मिल जाती है। अब देखना यह भी होगा कि सरकार जितनी निकटता का अहसास ग्रामीणों को देती है, क्या उतनी ही संवेदनशीलता से अफसर उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। आमतौर पर आवेदन को संबंधित विभाग को भेजकर निराकरण बता दिया जाता है। अब आवेदन की अंतिम छोर तक निगरानी की जरुरत महसूस हो रही है, ऐसे में ई-ऑफिस चलाने वाले अफसरों को इसका भी बंदोबस्त करना चाहिए। अन्यथा आवेदनों का ढेर ही आखिर में हर सरकार की विफलता की कहानी गढ़ देता है। सीएम विष्णु देव साय जिस संवेदनशीलता से काम करते हैं, उतनी ही गहराई से स्थानीय जिला प्रशासन को भी काम करना होगा। सरकार की सफलता तभी मानी जा सकती है, जब जिलों और गांवों से आवेदन लेकर राजधानी में सीएम जनदर्शन तक जनता के आने का सिलसिला खत्म होगा। यदि जिले में ही बात सुन ली जाएगी, तो फिर जनता राजधानी तक जाने का कष्ट क्यों उठाएगी।

शिवानी

शिवानी

मई 2026 के प्रमुख व्रत और त्यौहार (हिंदू कैलेंडर)

1 मई,	शुक्रवार:	बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
2 मई,	शनिवार:	नारद जयंती, ज्येष्ठ माह प्रारंभ (उत्तर भारत)
5 मई,	मंगलवार:	एकदंत संकष्टी चतुर्थी
7 मई,	गुरुवार:	रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
13 मई,	बुधवार:	अपरा एकादशी
14 मई,	गुरुवार:	प्रदोष व्रत (कृष्ण)
15 मई,	शुक्रवार:	मासिक शिवरात्रि, वृषभ संक्रांति
16 मई,	शनिवार:	वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या
20 मई,	बुधवार:	विनायक चतुर्थी
23 मई,	शनिवार:	मासिक दुर्गाष्टमी
25 मई,	सोमवार:	गंगा दशहरा, वैशाख माह का अंतिम दिन (उत्तर भारत)
26 मई,	मंगलवार:	निर्जला एकादशी (पद्मिनी एकादशी), बकरीद (ईद-उल-अधा)-चांद के अनुसार
28 मई,	गुरुवार:	प्रदोष व्रत (शुक्ल)
31 मई,	रविवार:	पूर्णिमा व्रत

मई 2026 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस:

1 मई: दिवस / मजदूर दिवस
3 मई: विश्व हास्य दिवस (मई का पहला रविवार)
8 मई: विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस

छत्तीसगढ़ में 'समान न्याय' की दस्तक:

एक राज्य, एक कानून की ओर बढ़ते कदम

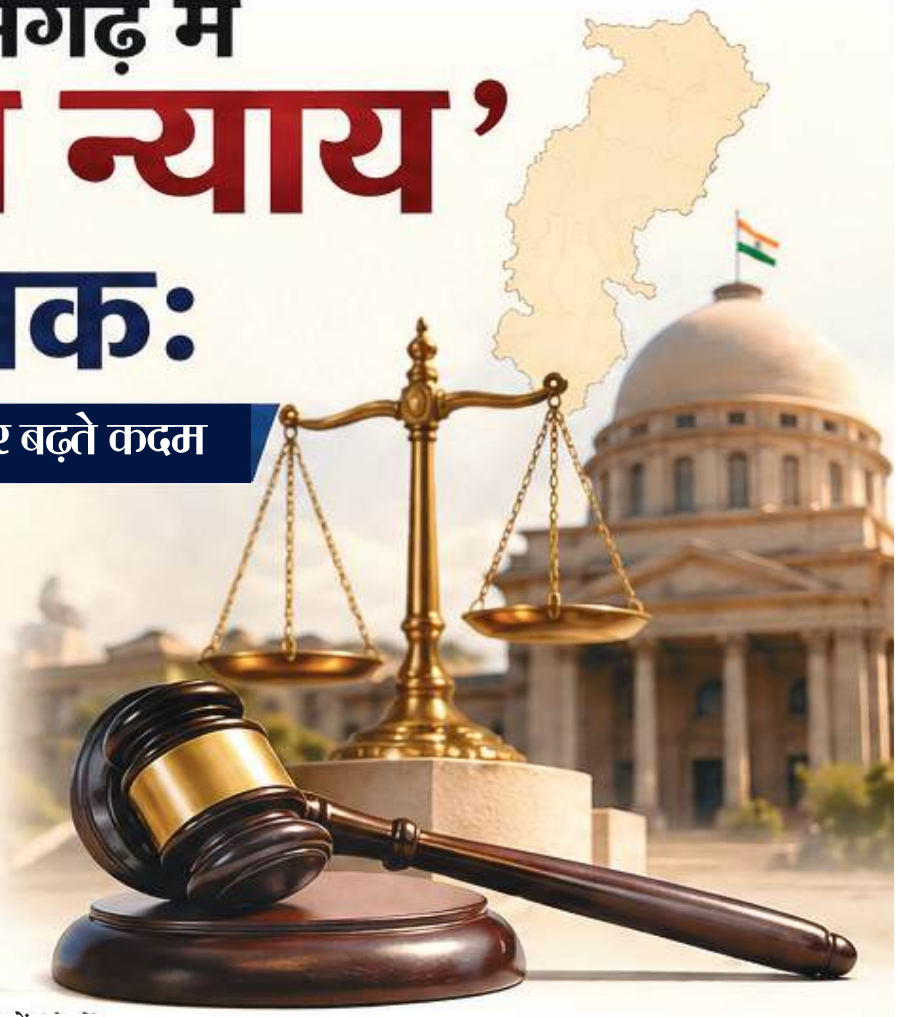

- रंजना देसाई समिति की देखरेख में तैयार होगा यूसीसी का खाका
- लैंगिक समानता और सरल न्याय प्रक्रिया पर रहेगा जोर।

शिवानी

छत्तीसगढ़ की सियासत और सामाजिक ढांचे में एक युगांतकारी परिवर्तन की नींव रख दी गई है। राज्य सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' लागू करने की दिशा में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय पर मुहर लगाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है।

यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक को एक समान धरातल पर लाने की एक व्यापक कोशिश है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में अलग-अलग धर्मों के अपने-अपने 'पर्सनल लॉ' प्रभावी हैं। सरकार का मानना है कि कानूनों की इस विविधता से न केवल जटिलताएं पैदा होती हैं, बल्कि न्याय मिलने में भी देरी होती है।

अनुच्छेद 44: संविधान के संकल्प की सिद्धि

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे अपने नागरिकों के लिए एक 'समान नागरिक संहिता' सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ सरकार इसी संवैधानिक लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है ।

प्रमुख बिंदु: क्या है सरकार का रोडमैप?

विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व:
उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार:
समिति के अन्य सदस्यों के चयन और मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री को पूर्णत: अधिकृत किया गया है ।

जन-भागीदारी सर्वोपरि:
यह कानून बंद कमरों में नहीं बनेगा। समिति आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेगी। इसके लिए एक समर्पित **वेब पोर्टल** भी शुरू किया जा सकता है, ताकि हर वर्गा की आवाज शामिल हो सके।

विधायी प्रक्रिया:
समिति की सिफारिशों के बाद प्रारूप को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और फिर इसे विधानसभा में कानून का रूप देने के लिए पेश किया जाएगा।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
सेवानिवृत्त न्यायाधीश
समिति की अध्यक्ष

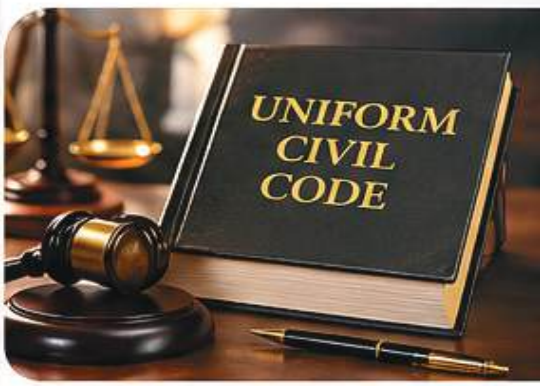

क्यों जरूरी है समान नागरिक संहिता?

> 'कानून जब सरल और एकरूप होता है, तभी वह न्यायसंगत बन पाता है। यूसीसी से न केवल कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि यह समाज में धार्मिक और लैंगिक समानता को भी नई ऊंचाई देगा'।

जटिलताओं का अंत:
वर्तमान में अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता है। यूसीसी इन सभी को एक सूत्र में पिरोएगा।

लैंगिक न्याय:
महिलाओं के अधिकारों (विरासत और भरण-पोषण) के मामले में यह कानून एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

सरल न्याय व्यवस्था:
अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी क्योंकि कानूनी मापदंड सभी के लिए एक जैसे होंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। अब सबकी नजरें जस्टिस रंजना देसाई समिति पर टिकी हैं, जिसे एक ऐसे छत्तीसगढ़ का कानूनी ढांचा तैयार करना है जहां 'विविधता में एकता' के साथ-साथ 'समानता का अधिकार' भी सुरक्षित रहे।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई:

छत्तीसगढ़ यूसीसी की सूत्रधार, जिनके फैसलों ने बदला देश का चेहरा

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज और उत्तराखंड यूसीसी मॉडल की वास्तुकार अब गढ़ेंगी छत्तीसगढ़ के लिए 'समान नागरिक संहिता' का खाका।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई देश की उन प्रतिष्ठित कानूनी हस्तियों में शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी का ड्राट तैयार करने के लिए उनका चयन उनके व्यापक अनुभव और इस विषय पर उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है।

यहाँ उनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां दी गई हैं:

परिचय और न्यायिक करियर

- उनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की।
- वे बॉंबे हाईकोर्टकी न्यायाधीश रहीं, जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में फैसले सुनाए।
- सुप्रीम कोर्ट की जजः साल 2011 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे उच्चतम न्यायालय के इतिहास में जज बनने वाली महज पांचवीं महिला थीं।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की विशेष उपलब्धियां

न्यायिक विशेषज्ञता:

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली देश की महज पांचवीं महिला, जिनका करियर बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर देश की शीर्ष अदालत तक बेमिसाल रहा है।

ऐतिहासिक निर्णयों की जननी

मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब की फांसी बरकरार रखने से लेकर मतदाताओं को 'नोटा' (NOTA) का अधिकार दिलाने वाले बेंच का महत्वपूर्ण हिस्सा।

यूसीसी की 'मास्टर' ड्राफ्ट्समैन:

यूसीसी की 'मास्टर' ड्राफ्ट्समैन: उत्तराखंड में देश का पहला ष्टष्ट मसौदा तैयार करने का सफल अनुभव, जिसने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए उन्हें सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाया।

प्रशासनिक अनुभव:

भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष और जेमू-कश्मीर परिसीमन आयोग जैसी उच्चस्तरीय समितियों का नेतृत्व करने का गौरव।

संतुलित दृष्टिकोण:

लाखों सुझावों को कानूनी बारीकियों के साथ पिरोने की उनकी क्षमता छत्तीसगढ़ की सामाजिक और जनजातीय विविधता के बीच एक न्यायसंगत कानून बनाने में सहायक होगी।

"अनुभव, संवेदनशीलता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण का संगम हैं" जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।

देश के तीन राज्यों में लागू है यूसीसी

यूसीसी के दो 'मॉडल': उत्तराखंड का साहस और गुजरात का आधुनिक संकल्प

देश के तीन राज्यों में यूसीसी लागू है। इनमें गोवा में काफी पहले से यह कानून है। दो राज्यों उत्तराखंड और गुजरात में कुछ वर्ष पहले लागू किया गया है।

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अब केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि धरातल पर उतरती हकीकत है। उत्तराखंड ने जहां इस दिशा में 'अग्रणी' बनकर रास्ता दिखाया, वहीं गुजरात ने इसे अपनी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाकर इस अभियान को और गति दे दी है। इन दोनों राज्यों के मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़) के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेंगे।

गोवा

विशेष स्थिति: गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ आजादी के समय से ही यूसीसी लागू है।

इतिहास: यहां 1867 का 'पुर्तगाली सिविल कोड' प्रभावी है, जिसे भारत में विलय के बाद भी जारी रखा गया। यह कानून सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।

उत्तराखंड

ऐतिहासिक कदम: आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।

स्थिति: उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में यूसीसी विधेयक पारित किया था। वर्ष 2026 में, राज्य सरकार ने इसके नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन अध्यादेश भी जारी किया है। यहां अब विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम सभी समुदायों के लिए समान है।

गुजरात

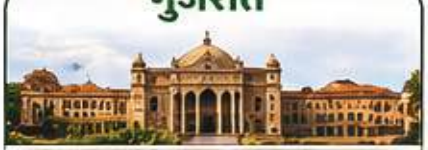

नवीनतम: मार्च 2026 में गुजरात विधानसभाने भी समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

विवरण: उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा राज्य (आजादी के बाद) बना है। यहां भी विवाह पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और पैतृक संपत्ति में समान अधिकार जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं।

प्रमुख बिंदु: जो इन कानूनों को बनाते हैं 'विशेष'

धर्मनिरपेक्ष स्वरूप: ये कानून किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों के पक्ष में है।

लैंगिक न्याय : महिलाओं को तलाक और संपत्ति के मामलों में पुरुषों के बराबर खड़ा करना इन कानूनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

जनजातीय छूट: उत्तराखंड और गुजरात दोनों ने ही अपनी 'अनुसूचित जनजातियों' को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है, ताकि उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं अक्षुण्ण रहें।

सरल न्याय प्रक्रिया: अब अदालतों को अलग-अलग पर्सनल लॉ की व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा।

उत्तराखंड और गुजरात : समान लक्ष्य, विशिष्ट प्रावधान

दोनों राज्यों के कानूनों का मूल उद्देश्य नागरिकों को एक समान कानूनी छतरी के नीचे लाना है, लेकिन इनके कार्यान्वयन और कुछ प्रावधानों में अपनी-अपनी विशेषताएं हैं:

विवाह और तलाक: अब सबके लिए एक नियम

- **पंजीकरण अनिवार्य:** दोनों राज्यों में अब हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना कठिन होगा।
- **बहुविवाह पर रोक:** किसी भी धर्म का व्यक्ति अब दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकता जब तक पहला जीवनसाथी जीवित है या कानूनी रूप से तलाक न हो गया हो।
- **न्यूनतम आयु:** विवाह के लिए पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष का मानक सख्ती से लागू है।

लिव-इन रिलेशनशिप: जवाबदेही का नया युग

- **अनिवार्य पंजीकरण (उत्तराखंड मॉडल):** उत्तराखंड ने 'लिव-इन' के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर एक कड़ा संदेश दिया है। पंजीकरण न कराने पर दंड का प्रावधान है।
- **सुरक्षा और अधिकार:** यदि लिव-इन के दौरान बच्चा पैदा होता है, तो उसे 'वैध' माना जाएगा और उसे संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलेंगे। साथ ही, छोड़ दी गई महिला को भरण-पोषण मांगने का अधिकार होगा।

विरासत और संपत्ति में समानता

- **बेटियों का समान अधिकार:** विरासत के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ सहित सभी पुराने नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। अब पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा।
- **वसीयत के नियम:** व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत किसी को भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि वसीयत नहीं है, तो कानूनन उत्तराधिकारियों को समान हिस्सा मिलेगा।

गोद लेना : प्रक्रिया का सरलीकरण

अब बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया धार्मिक मान्यताओं के बजाय कानून द्वारा संचालित होगी, जिससे अनाथ बच्चों के संरक्षण और अभिभावकों के अधिकारों में स्पष्टता आएगी।

गोवा का समान नागरिक संहिता: एक ऐतिहासिक विरासत

गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 19वीं शताब्दी से ही एक समान नागरिक कानून लागू है। यह देश के बाकी राज्यों के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश करता है।

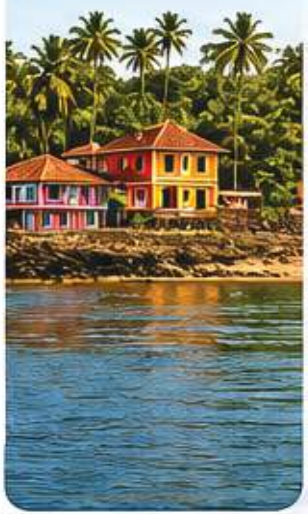

पुर्तगाली विरासत: गोवा में लागू यह कानून 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित है। 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी, भारत सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे जारी रखा।

साझा संपत्ति का अधिकार: गोवा मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शादी के बाद पति और पत्नी दोनों का संपत्ति पर समान अधिकार हो जाता है। कोई भी पक्ष दूसरे की सहमति के बिना संपत्ति बेच या गिरवी नहीं रख सकता।

पंजीकरण ही एकमात्र मान्यता: यहां विवाह तभी कानूनी माना जाता है जब वह सिविल अथॉरिटी (सब-रजिस्ट्रार) के पास पंजीकृत हो। धार्मिक रीति-रिवाजों से की गई शादी के बाद भी कानूनी मान्यता के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

बहुविवाह पर प्रतिबंध: गोवा में किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है।

लैंगिक समानता: विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में बेटे और बेटियों को बिल्कुल समान अधिकार प्राप्त हैं। मुस्लिम समुदायों पर भी यहां 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के बजाय यही सिविल कोड लागू होता है।

'संवैधानिक ढाल' बनाम 'सामाजिक समानता' की जंग

एक ओर आदिवासियों के अस्तित्व और जमीन पर खतरे का डर, तो दूसरी ओर 'शरीयत नहीं, संविधान' से देश चलाने की हुंकार। पढ़ें, यूसीसी पर छिड़े सियासी घमासान का पूरा विश्लेषण।

छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए समिति गठन के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष इसे 'सबका साथ-सबका विकास' और आधुनिक भारत की जरूरत बता रहा है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर 'डकैती' करार दिया है। बस्तर से लेकर रायपुर तक, अब बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या यह कानून छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा या बिखेर देगा?

विपक्ष का प्रहार: 'आदिवासी अधिकारों पर डाका '

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष **दीपक बैज** ने सरकार के इस कदम को आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ा षड़यंत्र बताया है। उनके विरोध के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

विशेष संरक्षण पर खतरा:

बैज का तर्क है कि छत्तीसगढ़ की 32' आदिवासी आबादी को संविधान से विशेष संरक्षण प्राप्त है। यूसीसी आने से पेसा (PESA) कानून और पांचवीं अनुसूची के तहत मिलने वाले अधिकारों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

जमीन हड़पने की साजिश:

कांग्रेस का आरोप है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की आड़ में उद्योगपतियों की नजर आदिवासियों की बेशकीमती जमीनों पर है। चूंकि मौजूदा कानून जमीन छीनने की इजाजत नहीं देते, इसलिए यूसीसी के जरिए 'चोर दरवाजा' खोजने की कोशिश हो रही है।

संरक्षित जनजातियों का भविष्य:

बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा और अबूझमाडिया जैसी संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक और सामुदायिक अधिकारों पर हनन की आशंका जताई गई है।

> "'सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या यूसीसी के बाद आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार और पांचवीं अनुसूची की पंचायतों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी?'
> – दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष"

समर्थन की गूंजः 'शरीयत नहीं, संविधान से चलेगा देश'

दूसरी ओर, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष **डॉ. सलीम राज** ने कैबिनेट के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति के अंत के रूप में देखा है:

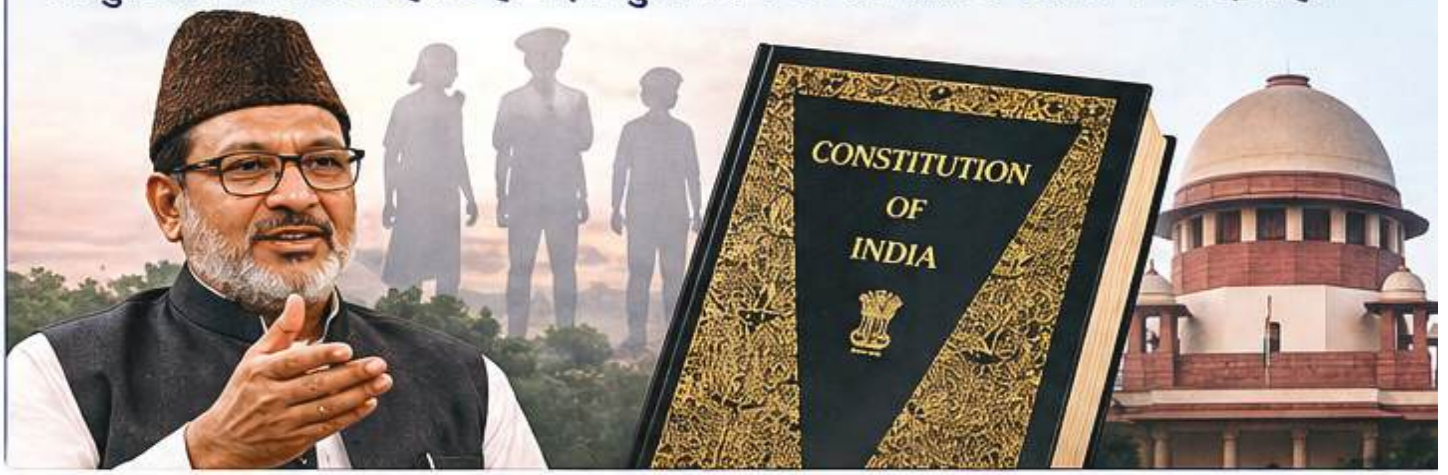

समानता का आधार:

डॉ. राज के अनुसार, देश किसी खास विचारधारा या व्यक्तिगत कानून से नहीं, बल्कि केवल संविधान से चलना चाहिए। यूसीसी लोकतंत्र की असली ताकत है।

तुष्टीकरण पर प्रहार:

उन्होंने पिछली सरकारों पर समुदायों के बीच भय पैदा कर 'वोट बैंक' की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता के पक्ष में है।

सामाजिक मजबूती:

उन्होंने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अलग-अलग धर्म के लोग एक ही मंडप के नीचे सरकारी लाभ लेते हैं, वैसे ही यूसीसी भी सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा।

संसद में संग्राम और गिर गया 'नारी शक्ति' का संकल्प

संसदीय इतिहास का बड़ा उलटफेर: बहुमत के अभाव में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल खारिज

राजनीतिक संवाददाता

भारतीय संसदीय इतिहास में शुक्रवार का दिन अप्रत्याशित रहा। जिस 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर देश भर में उम्मीदें थीं, वह लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल न कर पाने के कारण गिर गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, आरोपों-प्रत्यारोपों और रणनीतिक बिसात के बीच संविधान संशोधन की यह कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। प्रधानमंत्री ने इसे महिलाओं के अधिकारों की 'भ्रूण हत्या' करार दिया है, तो विपक्ष ने इसे अपनी वैचारिक जीत बताया है।

खास बातें

- **बहुमत का आंकड़ा:** विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि इसे पारित कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इसके खिलाफ 230 वोट डाले।
- **विधेयक खारिज:** दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण 131वां संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि विधेयक आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
- **सत्ता पक्ष का हमला:** अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा; पीएम मोदी ने कहा— 'नारी अपमान कभी नहीं भूलती। '
- **विपक्ष का तर्क :** राहुल गांधी ने इसे 'चुनावी ढांचे को बदलने की साजिश' करार दिया और कहा कि हमने भारत के नक्शे को जबरन बदलने से रोक दिया है।
- **संसदीय रिकॉर्ड :** 11 साल में पहली बार मोदी सरकार को सदन में इतना बड़ा विधायी झटका लगा है।

सभी चित्र एआई निर्मित

विस्तृत रिपोर्टः जब सदन में थमी 'नारी शक्ति' की उड़ान

हार और जीत का गणित

संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन जब मतदान शुरू हुआ, तो सदन में भारी तनाव था। सरकार को उमीद थी कि वह महिला आरक्षण और परिसीमन के इस 'कॉबो' बिल को पारित करा लेगी। लेकिन जब नतीजे आए, तो वे चौंकाने वाले थे।

कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें से पक्ष में मात्र 298 वोट ही आए। बहुमत से 54 कदम दूर रहने के कारण यह ऐतिहासिक बिल कानून की शक्ल लेने से पहले ही दम तोड़ गया।

पीएम मोदी की भावुक अपील और नाराजगी

विधेयक गिरने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों माताओं-बहनों से माफी मांगी।

उन्होंने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि इन दलों ने महिलाओं के सपनों को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हम महिला आरक्षण के रास्ते की हर रुकावट को हटाकर रहेंगे, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं।

"हम महिला आरक्षण के रास्ते की हर हर रूकावट को हटाकर रहेंगे, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं।"

अमित शाह का कड़ा रुख: 'महिलाओं का आक्रोश झेलेगा विपक्ष'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष की सोच को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने दक्षिण भारत और परिसीमन के नाम पर भ्रम फैलाया है। शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार 2026 की जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने के लिए स्पष्ट थी, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इस प्रक्रिया में रोड़ा अटकाया है।

राहुल गांधी की 'जादूगर' वाली कहानी और विजय का दावा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस हार को संविधान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण के लिए नहीं, बल्कि चुनावी नक़्शे को भाजपा के फायदे के लिए बदलने के लिए लाया गया था। सदन में उनके 'जादूगर और व्यवसायी' वाले बयान पर काफी हंगामा भी हुआ। राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष ने सरकार के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जो 15 सालों तक पिछड़ों और दलितों के प्रतिनिधित्व को दबाना चाहता था।

क्षेत्रीय समीकरण और विरोध के स्वर

मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी:

कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत और सरकार की 'आधी आबादी' को धोखा देने की कोशिश को नाकाम करना बताया।

एमके स्टालिन:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली (केंद्र) को संसद में हरा दिया गया है। उन्होंने इसे दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व की रक्षा बताया।

अमित शाह की सफाई:

शाह नें स्पष्ट किया था कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के राज्यों की सीटों का प्रतिशत (23.87%) कम नहीं होगा, लेकिन विपक्षी दल इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखे।

आगे क्या होगा?

विधेयक गिरने के बाद अब 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावनाओं पर काले बादल मंडराने लगे हैं। जहां भाजपा अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने और विपक्ष को 'महिला विरोधी' साबित करने की रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष इसे संघीय ढांचे और संविधान को बचाने की अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। आने वाले चुनावों में यह 'संसदीय संग्राम' एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है।

54 वोटों की वह कमी

संवैधानिक अनिवार्यता:
संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत (इस मामले में 352 वोट) जरूरी था।

परिणाम:
सरकार केवल 298 वोट जुटा पाई, जो कि साधारण बहुमत से तो अधिक है लेकिन विशेष बहुमत से 54 वोट कम रह गया।

ऐतिहासिक संदर्भ:
11 साल में यह पहली बार है जब किसी बड़े विधेयक पर सरकार को सदन के पटल पर इस तरह की हार का सामना करना पड़ा है।

नारी शक्ति के सम्मान में भाजपा का 'हल्ला बोल'

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के अवरोध के खिलाफ देशभर में 'जन आक्रोश पदयात्रा' का शंखनाद

केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। लोकसभा में इस अधिनियम के पारित न हो पाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में 'जन आक्रोश पदयात्रा' निकालने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को मातृशक्ति का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा, जहां भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन 'इण्डी' के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।

रायपुर में शक्ति प्रदर्शनः हजारों महिलाओं ने फूंका कांग्रेस का पुतला

राजधानी के इनडोर स्टेडियम से शुरू हुई इस 'जन आक्रोश पदयात्रा' में हजारों की तादाद में विभिन्न सामाजिक संगठनों, क्षेत्रों और वर्गों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं। हाथों में तख्तियां और विपक्ष के खिलाफ नारे लगाती इन महिलाओं का आक्रोश तब और बढ़ गया जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली कांग्रेस और समूचे विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। यह यात्रा सुभाष स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई।

गरिमामयी उपस्थिति

इस विशाल आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेण्डी, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और सांसद रूपकुमारी चौधरी (संचालक) सहित कई विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आभार प्रदर्शन महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी द्वारा किया गया।

रायपुर की यह जन आक्रोश पदयात्रा इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि आगामी समय में महिला आरक्षण और नारी शक्ति का सम्मान चुनावी राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बनने वाला हैं। भाजपा ने इस मुद्दे के जरिए विपक्ष को महिला विरोधी कठघरे में खड़ा कर एक बड़ी लकीर खींच दी है।

प्रमुख नेताओं के तीखे प्रहार: मुख्य अंश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय: 'कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस अधिनियम का विरोध कर सिद्ध कर दिया है कि वे महिला विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि गांधी परिवार के अलावा कोई अन्य महिला नेतृत्व की भूमिका में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मंशा महिलाओं को 33' आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने की थी, जिसे विपक्ष ने रोक दिया।'

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव: 'प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना में महिलाओं को सहभागी बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें केवल एक 'वोट बैंक' की तरह देखती है। कांग्रेस के इस चरित्र को देश की जनता देख रही है। '

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सरोज पाण्डेय: 'विपक्ष ने न केवल विधेयक को रोका, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों पर डाका डाला है। आज देश की मातृशक्ति इस रवैये से अत्यंत रुष्ट है। '

उप मुख्यमंत्री अरुण साव: 'कांग्रेस महिलाओं को आज भी घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहती है। इतिहास गवाह है कि जब भी महिला हितों की बात आई, कांग्रेस ने सदैव उनके साथ गद्दारी की है।'

मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े: 'महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। कांग्रेस ने हमेशा उन्हें छलने का काम किया है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु (मुख्य तथ्य):

उद्देश्य: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में विपक्ष के 'महिला विरोधी' चेहरे को उजागर करना।

आयोजन: रायपुर के इनडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक विशाल जन आकोश पदयात्रा।

सहभागिता: हजारों की संख्या में महिलाएं, विभिन्न सामाजिक संगठन और भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए।

विरोध प्रदर्शन: विपक्षी गठबंधन का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया गया।

राजनीतिक संदेश: भाजपा ने संकल्प दोहराया कि वे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और 33' आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सत्यमेव जयते

विष्णुदेव साय सरकार का 'संकल्प-सिद्धि' निर्णय

महिलाओं को आर्थिक कवच, सैनिकों को सम्मान का उपहार

कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: महिला रजिस्ट्री पर 50% की भारी छूट और सैनिकों को घर बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत; विकास की नई इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़।

विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं और सैनिक व उनके परिवारों को पंजीयन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। सरकार का यह केबसलों का सीधा संदेश स्पष्ट है—'अंतिम व्यक्ति' का सशक्तिकरण और राष्ट्र सेवा करने वालों का सम्मान। सरकार ने न केवल महिलाओं को संपत्ति के मालिकाना हक की ओर प्रेरित किया है, बल्कि सरहदों पर तैनात वीर सपूतों के घर के सपने कों भी अपना समर्थन दिया है।

आधी आबादी का पूरा हक: रजिस्ट्री शुल्क आधा

विष्णुदेव साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित न रखकर उसे आर्थिक मजबूती प्रदान की है। अब छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर भूमि पंजीकरण कराने पर लगने वाले **रजिस्ट्री शुल्क** में **50 प्रतिशत की कटौती** की जाएगी।

50% की छूट

उद्देश्य:
महिलाओं को अचल संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना।

आर्थिक निवेश:
इस ऐतिहासिक छूट से सरकारी खजाने पर करीब 153 करोड़ रूपये का भार आएगा, लेकिन इसे महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।

शौर्य को नमन: सैनिकों को जीवन में एक बार बड़ी राहत

देश की सेवा में अपना जीवन खपाने वाले छत्तीसगढ़ के लाड़लों के लिए सरकार ने कृतज्ञता प्रकट की है। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें राज्य में 25 लाख रूपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क **में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।**

25% की छूट

राहत का आधार:
सैनिकों का जीवन स्थानांतरण और अस्थावित्य से भरा होता है। सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी निवास के निर्माण के वक्त यह वित्तीय सहायता उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी।

★ सरकार के 'गेम-चेंजर' फैसले: ★

विष्णुदेव साय सरकार ने शासन के हर पहलू में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता :

अवैध उत्खनन पर नकेल कसने के लिए कड़े दंड (25 हजार से 5 लाख रूपये तक जुर्माना) का प्रावधान। साथ ही, रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चिब करने के लिए सीएमडीसी को खदानें आरक्षित करने की अनुमति।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस:

औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन कर मॉडल और वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) से ऋण उपलब्धता को आसान बनाया गया है।

पशुपालन और स्वरोजगार:

'दुधारू पशु प्रदाय' योजना का विस्तार अब सभी सामाजिक वर्गों तक कर दिया गया है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हैदराबाद की प्रसिद्ध कंपनी 'इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड' से सीधे टीकों की खरीदी को मंजूरी दी गई है।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण:

मध्य प्रदेश से बकाया 10,536 करोड़ रूपये की पेंशन राशि की वापसी पर सहमति बनी है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगी।

महिलाओं का सशक्तिकरण और सैनिकों का सम्मान,
विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ महान

छत्तीसगढ़ में 'सहकारी क्रांति' अब गांव की चौपाल पर ही खुलेंगे समृद्धि के द्वार

छत्तीसगढ़ में 'सहकार से समृद्धि' का संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का शुभारंभ कर न केवल खेती-किसानी को आसान बनाया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं और पूर्व सैनिकों की भागीदारी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए है।

छत्तीसगढ़ की 'साय सरकार' ने राज्य के गठन के बाद सहकारिता के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सुधार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 515 नई पैक्स का वर्चुअल शुभारंभ कर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अब प्रदेश में समितियों की कूल संख्या बढ़कर 2,573 हो गई है।

आधी आबादी और 'अन्नदूतों' के लिए नया सवेरा

इस फैसले का सबसे मानवीय और प्रगतिशील पहलू यह है कि ये समितियां अब सिर्फ खाद-बीज तक सीमित नहीं रहेंगी। सरकार की योजना के अनुसार, पैक्स को 'बहुद्देश्यीय' बनाया जा रहा है, जिससे समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभों को सीधा लाभ होगा:

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

नई समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और लोक सेवा केंद्रों (CSC) का संचालन होगा। इसमें ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे 'महतारी वंदन' के बाद अब उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मिलेगी।

सैनिकों और युवाओं को अवसर

साय सरकार इन समितियों को आधुनिक तकनीक और माइक्रो-एटीएण से लैस कर रही है। समितियों के संचालन और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम सें 25 से अधिक सरकारी सेवाओं के वितरण में अनुशासित पूर्व सैनिकों और शिक्षित युवाओं की भूमिका अहम होगी।

साय सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बड़े लाभ

दूरी घटी, सुविधा बढ़ी:
अब किसानों को धान बेचने या खाद-बीज के लिए मीलों दूर नहीं जाना होगा। नजदीकी समिति में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस:
कूल 515 नई समितियों में से 197 समितियां विशेष रूप से आदिवासी अंचलों में खोली गई हैं, जो बस्तर से सरगुजा तक विकास की नई इबारत लिखेंगी।

हाईटेक बैंकिंग की सुविधा:
समितियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है और माइक्रो-एटीएम की सुविधा दी गई है। अब किसान अपनी समिति से ही 20,000 रूपये तक की नकद निकासी कर सकेंगे।

एक छत के नीचे 25 सेवाएं:
ये समितियां अब 'स्मार्ट सेंटर' की तरह काम करेंगी, जहां आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं भी मिलेंगी।

सहकारिता का विस्तार:
आने वाले समय में ये समितियां भंडारण (गोदाम), प्रसंस्करण और मार्केटिंग के केंद्र के रूप में विकसित होंगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

> "'हमारा लक्ष्य गांव, गरीब और किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 515 नई समितियां केवल संस्थान नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए इंजन हैं। हम सहकारिता के माध्यम से हर हाथ को काम और हर खेत को पानी और खाद की सुलभता सुनिश्चित कर रहे हैं।' – विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

शिक्षा का 'साय': छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई इबारत, अब हर बच्चा छुएगा आसमान

विशेष संवाददाता

जब इरादे नेक और प्रक्रिया पारदर्शी हो, तो सुशासन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 14,403 मासूमों के सपनों को नई उड़ान दी है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन हजारों माताओं के भरोसे की जीत है जो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ते देखना चाहती थीं।

पारदर्शिता की नई मिसाल: ऑनलाइन लॉटरी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय (महानदी भवन) से जब वर्चुअल माध्यम से इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया, तो संदेश साफ था— 'हक सबका, पक्षपात किसी का नहीं'। राज्य भर से प्राप्त 38,439 आवेदनों में से पात्र पाए गए बच्चों को पूरी पारदर्शिता के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया।

> "'शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे के भविष्य की दीवार न बने।'
> – विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

माताओं का गौरव:

अपने बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवतापूर्ण शिक्षा दिलाना हर मॉ का सपना होता है। साय सरकार की इस डिजिटल पहल ने विचौलियों को खत्म कर सीधे माताओं के हाथ में अधिकार सौंपा है।

सैनिक और वंचित वर्गों को प्राथमिकता:

प्रदेश की नीति में अनुसुचित जाति, जनजाति और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के साथ-साथ देश की सेवा में लगे परिवारों की चिंताओं का भी ध्यान रखा गया है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से सरकार समाज के हर तबके को मुख्यधारा से जोड़ रही है।

सुशासन और डिजिटल क्रांति के मुख्य बिंदु:

बजट में बड़ा इजाफा: सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले।

टेकनोलॉजी से सुगमता: आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। सिस्टम खुद बताता है कि घर के 1.5 किमी के दायरे में कौन से स्कूल उपलब्ध हैं।

विशाल नेटवर्क: वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 3 लाख 63 हजार से अधिक विधार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

सीटों का आरक्षण: निजी स्कूलों में 25 प्रतिसत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं।

दूसरी पारी का अवसर: जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई है, वहॉ जिला स्तर पर ऑफलाइन लॉटरी के जरिए पारदर्शी तरीके से प्रवेश दिया जाएगा।

भविष्य की नींव

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की उपस्थिति में संपन्न हुई यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में 'साय सरकार' केवल नीतियां नहीं बना रही, बल्कि उन्हें तकनीक के माध्यम से धरातल पर उतार रही है। अब प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक समान बेंच पर बैठकर उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है।

भारत की जनगणना 2027

'हमारी जनगणना-हमारा विकास' के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ तैयार

–रमेश जायभाये

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छोटी-सी जानकारी–जैसे पानी, बिजली या परिवार के सदस्यों का विवरण–देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकती है? दरअसल, हर नागरिक की दी गई जानकारी मिलकर ही भारत के भविष्य की दिशा तय करती है।

इसी कड़ी में वर्ष 2027 की जनगणना एक खास पड़ाव बनने जा रही है। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक नई कहानी है—एक ऐसी कहानी जिसमें हर नागरिक की भागीदारी है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल अंदाज में होगी, जो इसे पहले की सभी जनगणनाओं से अलग और अधिक आधुनिक बनाती है। छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान को लेकर तैयारियाँ तेजी से पूरी की जा रही हैं। वातावरण ऐसा है मानो कोई बड़ा जनउत्सव आने वाला हो—और वास्तव में, यह एक ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

कहानी शुरू होती है इतिहास से–

भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और 1881 से इसे पूरे देश में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित हुई, जिसने देश के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। अब वर्ष 2027 की जनगणना इस ऐतिहासिक यात्रा का आधुनिक रूप है। यह न केवल देश की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी, बल्कि भविष्य की योजनाओं की नींव भी तैयार करेगी।

दो चरणों में होगी–

छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी– पहला चरण अप्रैल-मई 2026 में और दूसरा फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा।

राज्य के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (रात 12 बजे) निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी।

अब आपकी बारी: खुद करें अपनी जनगणना!

इस बार जनगणना की सबसे रोचक और उपयोगी सुविधा है—स्व-गणना। अब आप स्वयं अपने घर और परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आपसे परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय और घर की सुविधाओं से जुड़े कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी भरने के बाद आपको एक आईडी प्राप्त होगी। जब प्रगणक आपके घर आएंगे, तो केवल यह आईडी दिखानी होगी और आपकी जानकारी सत्यापित कर ली जाएगी—यानी बार-बार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

दस्तावेज जरूरी नहीं–

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आप जो जानकारी देंगे, वही दर्ज की जाएगी। स्व-गणना के प्रति लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है–देशभर में लाखों परिवार इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं, जो इस डिजिटल पहल की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

स्मार्ट तकनीक, सटीक आंकड़े और भरोसेमंद प्रक्रिया–

इस बार जनगणना पूरी तरह तकनीक के सहारे संचालित होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे काम तेज और अधिक सटीक होगा। साथ ही, आधुनिक जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर हर क्षेत्र और गणना ब्लॉक को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है, ताकि कोई भी घर या व्यक्ति छूट न जाए। डेटा के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए उन्नत डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहती है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, इस बार जाति संबंधी आंकड़ों का भी समावेश किया जाएगा, जो दशकों बाद समाज की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा।

बेघरों की भी पहचान–

जनगणना में समाज के हर वर्ग को शामिल करने का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी के तहत बेघर व्यक्तियों की गणना भी अलग से, विशेष अभियान के माध्यम से की जाती है, ताकि कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। और जहाँ तक आपकी जानकारी की सुरक्षा का सवाल है–यह पूरी तरह गोपनीय रहती है। इसे किसी अन्य विभाग या एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाता।

छत्तीसगढ़ तैयार, अब आपकी भागीदारी जरूरी–

छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं। शहरों से लेकर गाँवों तक, हर क्षेत्र में जनगणना टीम सक्रिय रहेगी, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए। नागरिकों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस पूरे अभियान की असली ताकत है–आपकी भागीदारी।

जब आप सही जानकारी देते हैं, तो आप केवल एक फॉर्म नहीं भरते, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। आपकी दी गई जानकारी से ही तय होता है कि कहाँ नई सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल खुलेगा और कहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है।

टोल-फ्री हेल्पलाइन 1855

आखिर में एक छोटी-सी बात–

जनगणना एक आईना है, जिसमें देश खुद को देखता है। इस बार यह आईना डिजिटल है— तेज, सटीक और आधुनिक। और इसमें जो तस्वीर दिखेगी, उसे बनाने में आपका भी योगदान होगा।

तो आइए, इस जनगणना अभियान का हिस्सा बनें–स्व-गणना करें, सही जानकारी दें और देश के विकास की कहानी में अपनी भूमिका निभाएं।

जनगणना 2027 | **आपकी जानकारी देश की योजना** | **सही जानकारी, सशक्त भारत** | **आइए मिलकर बनाएं समृद्ध छत्तीसगढ़, समृद्ध भारत**

विकास

बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार: 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से बस्तर को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन; 'लैंड-लॉक्ड' क्षेत्र की बाधाएं होंगी समाप्त

रायपुर। बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र और राव्य सरकार का साझा प्रयास रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130 CD) के रूप में धरातल पर उतर रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बस्तर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुंचाकर इस अंचल की तस्वीर और तकदीर बदल देगा।

दुर्गम घाटों से मुक्ति: समय और लागत में भारी बचत

वर्तमान में जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा के लिए ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से गुजरना पड़ता है, जिसमें 7 से 9 घंटे का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि खर्चीला भी है।

समय की बचत: नया कॉरिडोर इस सफर को मात्र 3.5 से 4 घंटे में समेट देगा।

किफायती परिवहन: सीधा और घाट-मुक्त रास्ता होने के कारण डीजल की खपत और वाहनों के मेंटेनेंस खर्च में बड़ी कमी आएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।

नबरंगपुर इंटरचेंज: बस्तर का मुख्य प्रवेश द्वार

जगदलपुर मुख्यालय को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर (दासपुर इंटरचेंज) को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जगदलपुर का ट्रैफिक मात्र 50-60 किमी का सफर त्य कर इस इंटरचेंज के जरिए मुख्य कॉरिडोर में शामिल हो सकेगा। इससे बस्तर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ जाएगा।

'बस्तरिया ब्रांड' का ग्लोबल मार्केट में होगा जलवा

निर्यात को बढ़ावा: बस्तर की प्रसिद्ध अरेबिका कॉफी, जैविक इमली, महुआ उत्पाद और अद्वितीय ढोकरा शिल्प अब कम समय और कम खर्च में पोर्ट तक पहुंच सकेंगे।

प्रतिस्पर्धी दरें: कम लॉजिस्टिक लागत के कारग बस्तर के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य वैश्विक ब्रांड्स को टक्कर दे सकेंगे, जिससे स्थानीय किसानों और शिल्पकारों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर

बुनियादी सुविधाएं: बस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आकांक्षी जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक प्रभावी होगी।

औद्योगिक क्लस्टर: कॉरिडोर के किनारे नए औद्योगिक हब विकसित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

इंजीनियरिंग और पर्यावरण का अनूठा संगम

छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन-ट्यूब टनल: केशकाल की मंशिनगढ़ पहाड़ी को चीरकर 2.79 किमी लंबी आधुनिक मुरंग बनाई जा रही है।

वन्यजीव संरक्षण: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए मंकी कैनोपी, एनिमल अंडरपास और ओवरपास बनाए जा रहे हैं ताकि वन्यजीवों का आवागमन सुरक्षित रहे।

मुख्य सांख्यिकी

कुल लंबाई
464 किमी
(ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर)

परियोजना लागत
लगभग ₹16,491 करोड़

लाभान्वित जिले
रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंड़ागांव

प्रमुख संरचना
6-लेन सड़क और अत्याधुनिक ट्विन-ट्यूब टनल

नेतृत्व की दृष्टि

"यह कॉरिडोर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे बस्तर जैसे क्षेत्रों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़कर समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।"

– श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

"हमारा लक्ष्य सुरक्षित और तेज परिवहन सुनिश्चित करना है। इस कॉरिडोर से बस्तर सीधे बंदरगाह से जुड़कर व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।"

– श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री

'पावर प्लांट' बना कालः वेदांता हादसे की दहला देने वाली दास्तां

सुरक्षा मानकों पर सुलगते सवाल और 24 परिवारों के बुझते चिराग

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक गढ़ रायगढ़ में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुआ भीषण हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा प्रबंधन की बड़ी विफलता के रूप में सामने आया है। इस त्रासदी ने अब तक 24 जिंदगियां लील ली हैं। प्लांट के भीतर मची चीख-पुकार और धुएं के गुबार के बीच जो दर्द निकला, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर जहां अस्पताल में घायल अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्लांट के बाहर अपनों को खोने वाले परिजनों का गुस्सा और मातम पसरा हुआ है।

- **मौत का आंकड़ाः** हादसे में अब तक 24 श्रमिकों की जान जा चुकी है, कई अन्य अभी भी गंभीर रूप से घायल।
- **भीषण विस्फोटः** घटना के वक्त प्लांट के भीतर क्षमता से अधिक काम और तकनीकी खराबी की शुरुआती आशंका।
- **मुआवजे का ऐलानः** प्रशासन और कंपनी द्वारा मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का वादा।
- **उच्च स्तरीय जांचः** राज्य सरकार द्वारा हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश।
- **सुरक्षा पर सवालः** क्या औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने समय-समय पर ऑडिट किया था?

कैसे हुआ हादसा?

रायगढ़ जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में यह हादसा तब हुआ जब अचानक एक यूनिट में तकनीकी खराबी के बाद भीषण विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में कंपन महसूस किया गया। हादसे के वक्त वहां बड़ी संख्या में श्रमिक तैनात थे, जिन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग और मलबे की चपेट में आने से कई श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को तत्काल रायगढ़ और रायपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

जांच के घेरे में वेदांता प्रबंधन

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या प्लांट में सेटी नियमों का पालन हो रहा था? क्या प्रेशराइज्ड उपकरणों का समय पर मेंटेनेंस किया गया था? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सती से पालन होता, तो मौतों के इस आंकड़े को कम किया जा सकता था।

विपक्ष और श्रमिक संगठनों के सवाल

इस हादसे ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि मुनाफे की दौड़ में मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि दोषियों पर केवल आर्थिक दंड न लगाया जाए, बल्कि उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरतारी की जाए ताकि भविष्य में कोई दूसरी कंपनी ऐसी लापरवाही न बरते।

एफआईआर के घेरे में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल

रायगढ़ पुलिस ने इस हादसे की व्यापकता और पीड़ितों के आक्रोश को देखते हुए कानूनी कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ा दिया है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल किया जाना सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई मानी जा रही है।

सबक लेना जरूरी है

रायगढ़ के वेदांता प्लांट में हुई यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई है। 24 मौतों का यह आंकड़ा हमें चेतावनी दे रहा है कि औद्योगिक विकास की कीमत मजदूरों के खून से नहीं चुकाई जानी चाहिए। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर हैं कि क्या वास्तव में न्याय होगा या फिर यह मामला भी पुरानी फाइलों की तरह दबकर रह जाएगा।

विशेष रिपोर्ट:

छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, संजू देवी को 50 लाख का सम्मान

राज्य के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को मिली इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि; विश्वकप की 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' ने बढ़ाया देश का मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी अपना लोहा मनवा रही हैं। कोरबा के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय कबड्डी टीम को विश्व विजेता बनाने वाली संजू देवी रावत को राज्य शासन ने 50 लाख की ऐतिहासिक प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। यह छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में किसी खिलाड़ी को दी गई अब तक की सबसे बड़ी सम्मान राशि है।

उपमुख्यमंत्री ने सौंपा चेक: खेल और खिलाड़ियों के नए युग की शुरुआत

ऐतिहासिक पहल:
राज्य सरकार ने पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए ₹50 लाख के पुरस्कार की घोषणा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कदर है।

अकादमी का गौरव:
संजू देवी बिलासपुर की बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी की छात्रा हैं, जहां उन्होंने अपने खेल कौशल को निखारा।

संसाधनों का विस्तार:
इस अवसर पर श्री साव ने बिलासपुर के चिंगराजपारा कबड्डी क्लब को प्रोफेशनल कबड्डी मैट भी प्रदान किया।

सम्मान समारोह में उपस्थित

- श्रीमती तनूजा सलाम, संचालक, खेल विभाग
- श्री शशिकांत बघेल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ
- श्री दिल कुमार राठौर, कोच
- अन्य गणमान्य नागरिक और उभरते खिलाड़ी

मैदान पर संजू का जलवा: जब अकेले दम पर पलटा मैच

विश्वकप की नायिका:
नवंबर 2025 में बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्वकप में संजू को पूरे टूर्नामेंट की 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' चुना गया।

फाइनल में चमत्कार:
विश्वकप के फाइनल मैच में भारत ने कुल 35 अंक हासिल किए थे, जिनमें से 16 अंक अकेले संजू ने अपनी दमदार रेड्स से दिलाए।

एशियन चैंपियनशिप:
इससे पहले मार्च 2025 में ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

संघर्ष से सफलता तक: केराकछार से विश्वकप का सफर

श्रमिक परिवार की बेटी:
कोरबा जिले के छोटे से गांव 'केराकछार' की रहने वाली संजू एक श्रमिक दंपत्ति की संतान हैं।

कठिन परिश्रम:
संजू का कहना है कि बड़े स्तर पर सफल होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। बाधाओं के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

अकादमी का साथ:
जुलाई 2023 से बहतराई अकादमी में प्रशिक्षण ले रही संजू छत्तीसगढ़ की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी बनीं।

संजू देवी की उपलब्धियां (एक नजर में):

- **नाम:** संजू देवी रावत
- **निवासी:** ग्राम केराकछार, जिला कोरबा
- **प्रशिक्षण केंद्र:** बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी, बिलासपुर
- **बड़ी जीत:** कबड्डी विश्वकप (स्वर्ण), एशियन चैंपियनशिप (स्वर्ण)
- **विशेष सम्मान:** विश्वकप 2025 की 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर'
- **पुरस्कार राशि:** ₹50,00,000 (राज्य शासन द्वारा)

सरकार का संकल्प: 'बस्तर से सरगुजा तक खिलेगी प्रतिभा'

"छत्तीसगढ़ की बेटी का यह प्रदर्शन पूरे राज्य का गौरव है। हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को तराश रही है। संजू की यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों, विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

— अरूण साव, उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री, छत्तीसगढ़

पाटलिपुत्र में 'सम्राट' का राज्याभिषेक

46 साल का इंतजार खत्म: भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, चुनौतियों का 'कांटों भरा ताज' भी साथ

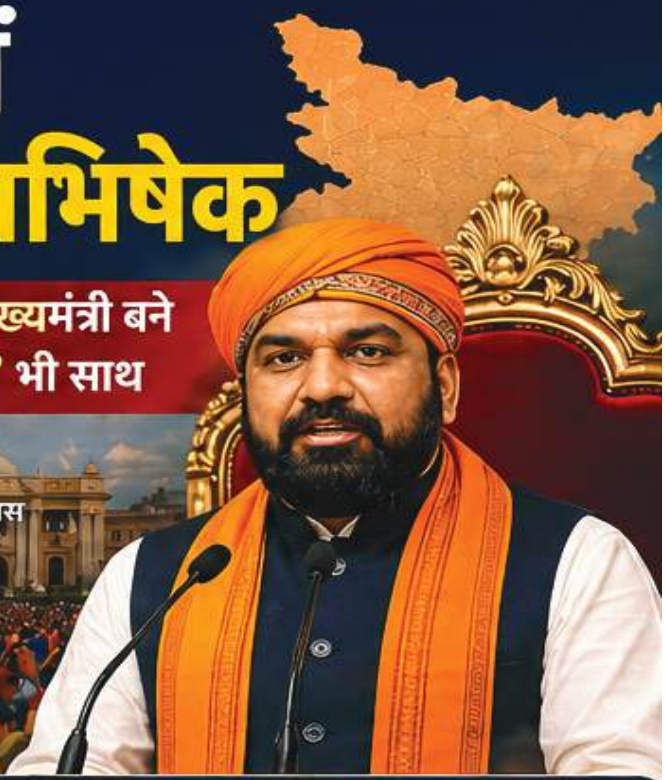

नवीन सिन्हा

बिहार की सियासत ने 15 अप्रैल 2026 को एक नया इतिहास रच दिया। करीब दो दशकों तक सत्ता के धुरी रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद, पाटलिपुत्र की कमान अब भारतीय जनता पार्टी के 'सम्राट' के हाथों में है। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह न केवल एक व्यक्ति का शपथ ग्रहण है, बल्कि बिहार में भाजपा के 'जुनियर पार्टनर' से 'कैप्टन' बनने की लंबी यात्रा का समापन भी है।

प्रमुख आकर्षणः शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक क्षण

ऐतिहासिक क्षण: 1980 में भाजपा के गठन के बाद पहली बार पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा।

अनुशासन और शौर्य: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवाविवृत्त) सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में शपथ दिलाई, जो प्रशासन में सैन्य अनुशासन की नई उम्मीद जगाता है।

संस्कार और सियासत: शपथ के तुरंत बाद सम्राट का नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चर्चा का विषय बना। यह सत्ता के हस्तांतरण के साथ-साथ बड़ों के प्रति सम्मान की बिहारी परंपरा का प्रदर्शन था।

नई टीम: अनुभवी जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली।

सियासी सफर: राबड़ी सरकार के मंत्री से बिहार के मुख्यमंत्री तक

कोईरी समाज का गौरव: सतीश प्रसाद सिंह (1968) के बाद सम्राट चौधरी कोईरी समाज से आने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं।

दोहरा रिकॉर्ड: कर्पूरी ठाकुर के बाद वे दूसरे ऐसे नेता हैं जो राज्य में उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, दोनों पदों पर रहे।

अनुभव का खजाना: 1999 में राबड़ी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर 2026 में मुख्यमंत्री बनने तक, उन्होंने आरजेडी, जेडयू और अब भाजपा में अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया है।

सम्राट चौधरी का सीएम बनना महज संयोग नहीं, बल्कि उनकी दशकों की तपस्या और सामाजिक समीकरणों का परिणाम है:

सम्राट सरकार की 5 बड़ी चुनौतियां: दोहरी परीक्षा का समय

सत्ता की बागड़ोर संभालने के साथ ही सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियों का हिमालय खड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सफलता इन पांच मोर्चों पर टिकी होगी:

1 गठबंधन का 'सर्कस' संभालना:

भाजपा के नेतृत्व में पहली बार बनी इस सरकार में 5 दल शामिल हैं। सबकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष रोकना सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी।

2 'सुशासन बाबू' की विरासत का बोझ:

नीतीश कुमार ने शासन का एक मानक सेट किया है। सम्राट को अब खुद को नीतीश से बैहतर या उनके बराबर साबित करना होगा, खासकर कानून-व्यवस्था और 'जीरो टॉलरेंस' (भ्रष्टाचार पर रोक) के मामले में।

3 महिला सशक्तिकरण (जीविका दीदी):

इनपुट के अनुसार, सरकार पर जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपये के भुगतान का वादा निभाने का दबाब है। महिलाओं के इस बड़े वोट बैंक को साधे रखना सम्राट के लिए अनिवार्य है।

4 रोजगार और पलायन:

बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन और रुकी हुई चीनी मिलों को दोबारा शुरू करना सम्राट की कार्यशैली की असली कसौटी होगी। 2025-2030 के '7 निश्चय-3' को धरातल पर उतारना बड़ी जिम्मेदारी है।

5 विपक्ष और धारदार राजनीति:

राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार की छाया और आक्रामक विपक्ष के हमलों के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना और प्रशासनिक पारदर्शिता लाना सम्राट के लिए कांटों भरा रास्ता है।

भारत का औषधिक उद्योग

अब रणनीति पैमाने से नवाचार की ओर

-जगत प्रकाश नड्डा

वैश्विक स्तर पर, कुल औषधि राजस्व में बायोलॉजिक, बायोसिमिलर और विशेष दवाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। लंबे समय से जेनरिक दवाओं में अग्रणी देश होने के कारण 'विश्व की फ़ार्मेसी' के रूप में प्रसिद्ध भारत का औषधि उद्योग अब पैमाने से नवाचार की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार भविष्य के अनुरूप एक नीतिगत रूपरेखा को गति दे रही है, ताकि देश जेनरिक दवाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए इन उभरते क्षेत्रों में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।

केंद्रीय बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ के मिशन बायोफार्मा निर्माण शक्ति की घोषणा इस दिशा में एक निर्णायक कदम को रेखांकित करती है। यह अगले 8 से 10 वर्षों में भारत को बायोफार्मा नवाचार और उच्च मूल्य वाली चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केन्द्र बनाने के देश के संकल्प का संकेत देती है। यह विज़न गहरी वैज्ञानिक क्षमताओं के निर्माण, नवाचार-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और भारत को अगली पीढ़ी की दवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने में सक्षम बनाने पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और उन्नत चिकित्सीय क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को गति देना है। यह कार्यक्रम औषधि विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मौजूदा पहलों का पूरक है, जैसे फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (पीआरआईपी), अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, बायोनेस्ट आदि, जिनका उद्देश्य जैव- औषधि समेत जीवन विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ये पहलें भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्योग-अकादमी सहयोग को बढ़ावा देने तथा जेनेरिक दवाओं से नवाचार संचालित दवा अनुसंधान और विकास की ओर बदलाव को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

वैश्विक स्तर पर बढ़ी प्रतिस्पर्धा

इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ किण्वन-आधारित निर्माण क्षमताओं का विकास करना है। एंटिबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम और बायोलॉजिक्स के निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, यह क्षेत्र लंबे समय से आयात पर निर्भर रहा है। अवसंरचना में निवेश करके, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर तथा लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके, भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में घरेलू क्षमता का निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

भारत के नैदानिक अनुसंधान इकोसिस्टम का विस्तार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रयोग केंद्र स्थापित किये जायेंगे, जो वैश्विक दवा विकास गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बेहतर बनायेंगे। अपनी लागत लाभ और कुशल शोधकर्ताओं की बढ़ती सेंया के साथ, भारत कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक प्रयोग के लिए असाधारण अवसर प्रदान करता है। साथ ही, नियामक व्यवस्था को मजबूत करने और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने से भारत की मौजूदा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अधिक अनुरूप होगी, जिससे तेज अनुमोदन संभव होंगे और वैश्विक हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ेगा। स्व-प्रतिष्ठा का ज़रिया था। जब बौद्धिक विमर्श व्यक्तिगत कुंठाओं की भेंट चढ़ने लगे, तो सत्य का चेहरा धुंधला हो जाता है। विश्वरंजन का विरोध दरअसल उस श्रेष्ठता का विरोध था जो सत्ता की सीमाओं के भीतर रहकर भी संस्कृति और वैचारिकता का दीया जलाए रखना चाहती थी। यह विडंबना ही है कि जो लोग खुद को जनचिंतक कहते हैं, वे ही एक व्यक्ति के निधन के समय सबसे अधिक संवेदनहीन और अतार्किक साबित हुए।

दवाओं की कीमत घटी

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने पीएलआई और थोक दवा (बल्क ड्रग) पार्क योजनाओं के सहारे सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और मुय आरंभिक सामग्रियों (केएसएम) के स्थानीय उत्पादन में तेज़ी से प्रगति हुई है। इससे देश में दवाओं की कीमतें घटाने में मदद मिली है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम कीमतों में से एक है और इसके कारण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत किफायती बनी रहती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है, जिसके तहत 19,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैंसर और दुर्लभ रोगों की दवाओं जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं पर सीमा-शुल्क को सुव्यवस्थित करने जैसे पूरक उपाय जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच को और सुलभ बना रहे हैं। जैसे-जैसे उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं अधिक व्यापक होंगी, किफायती दर और समान पहुंच सुनिश्चित करना केंद्रीय नीति की प्राथमिकता बनी रहेगी।

निवेश बढ़ाना प्रमुख चुनौती

जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहा है, भारत का उद्देश्य न केवल स्थापित बाजारों में बल्कि उभरते क्षेत्रों में, विशेष रूप से नवाचार-संचालित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। सुधार, इस बदलाव के केंद्र में हैं। नियामक समन्वय, अनुमोदन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और तेजी से मंजूरी जैसे प्रयास व्यापार करने में आसानी को बढ़ा रहे हैं। गुणवत्ता मानकों और नियामक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने से भारतीय औषधि उत्पादों पर वैश्विक विश्वास की निरंतरता सुनिश्चित होती है। हालांकि, आरएंडडी निवेश बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसका समाधान करने के लिए, सार्वजनिक-निजी सहयोग को मजबूती देना आवश्यक होगा, ताकि दीर्घकालिक नवाचार को बनाए रहा जा सके।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं)

घरेलू बाजार बढ़ा

नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और बाजार का आपसी समन्वय; औषधि क्षेत्र के लिए विकास का एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। भारत का घरेलू बाजार, जिसका मूल्य पहले से ही ?4 लाख करोड़ से अधिक है, निरंतर विस्तार के लिए तैयार है। अगले दशक में, भारत न केवल जेनेरिक दवाओं में एक अग्रणी देश के रूप में, बल्कि नवोन्मेषी दवाओं, किण्वन-आधारित उत्पादों और अगली पीढ़ी की चिकित्सा-सेवाओं में भी एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरने के लिए बेहतर स्थिति में है। निष्कर्ष के तौर पर, भारत का औषधि क्षेत्र नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो नवाचार, सुदृढ़ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा द्वारा परिभाषित होता है। बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलों, नैदानिक अवसंरचना के विस्तार और लक्षित निर्माण प्रोत्साहनों के समर्थन से, भारत धीरे-धीरे मात्रा-संचालित जेनेरिक दवा केंद्र से उच्च-मूल्य वाले बायोफार्मा नवाचार अग्रणी देश की ओर आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में भारत की भूमिका को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न, विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

महिला आरक्षण से बदलेगी भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर

- शोभा करंदलाजे

एक राज्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेते समय, मैंने उस खचाखच भरे कमरे में चारों ओर नजरें घुमायीं और गिनती की। वहां मौजूद महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इस दृश्य ने केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में ही नहीं, बल्कि इस बात के स्पष्ट संकेत के रूप में भी एक छाप छोड़ी कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।

मैं कर्नाटक के तटीय इलाके के पुत्तूर के पास स्थित एक छोटे से गांव से आती हूं। पारंपरिक रूप से यह एक समृद्ध इलाका है और यहां की महिलाओं ने हमेशा अपनी दृढ़ता एवं शक्ति का परिचय दिया है। मुझे पता है कि उस शक्ति को सार्वजनिक जीवन में लगाने का क्या मतलब होता है। खासकर, उस स्थिति में जब एक ऐसी राह पर चलना हो जिस पर पहले चंद लोग ही चले हों और हर महिला को वैसे ही जोश के साथ वैसा ही मौका नहीं मिला हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है। संसद में सितंबर 2023 में इस पर चर्चा हुई थी और संविधान में संशोधन किया गया था। लेकिन अब उस वादे को निभाने का सबसे मुश्किल काम सामने है।

अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकतंत्र

भारत में कुल 670 मिलियन महिलाएं हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में महज 15 प्रतिशत महिलाएं ही संसद में पहुंच पायीं हैं। जो लोकतंत्र अपने आधे नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से लगातार बाहर रखे, उसे सच्चा लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया में ही माना जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कागज पर लिखे किसी कानून का तभी कोई महत्व होता है, जब उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जनगणना कराना बेहद जरूरी है। इसके बाद परिसीमन होना चाहिए और संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

प्राथमिकता में बदलाव

जब कानून बनाने वाली प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो कानून बनाने का केन्द्रबिंदु ही बदल जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में, जहां दशकों पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के पोषण के लिए अधिक बजट आवंटित किए गए। भ्रष्टाचार के प्रति कम सहनशीलता और समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेही देखी गई। यह महज एक संयोग नहीं है। यह प्रतिनिधित्व का जीता-जागता उदाहरण है।

दुष्चक्र को तोड़ना

मैंने अक्सर यह तर्क सुना है कि महिलाओं को ''अपनी योग्यता के बल पर'' आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस भावना का सेमान करती हूं। लेकिन इस आधार को खारिज करती हूं। योग्यता शून्य में नहीं पनपती। यह वहीं पनपती है, जहां अवसर मौजूद होते हैं। पीढ़ियों से, संरचनात्मक बाधाओं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ने प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति से बाहर रखा है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हमेशा उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास सुस्थापित नेटवर्क एवं संपर्क तथा विरासत में मिली राजनीतिक साख रही है और जो घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। दूसरी ओर, महिलाओं को इनमें से कोई भी सुविधा हासिल नहीं है।

आरक्षण अड़चन को दूर करता है

जब बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायतों में दाखिल हुईं, तो शुरू में उन्हें नजरअंदाज किया गया। आखिरकार, विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि उनके अपने समुदायों ने उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी, अधिक सुलभ और अधिक ईमानदार माना। जब महिलाओं को उचित अवसर दिया जाता है, तो वे केवल भाग ही नहीं लेती बल्कि नेतृत्व भी करती हैं।

नीतिगत दृष्टि से इसके मायने

सरकार में रहते हुए अपने व्यापक अनुभवों से मैंने यह जाना है कि निर्णय लेने वाले स्थानों पर आपकी मौजूदगी ही इस बात को निर्धारित करती है कि किस विषय पर चर्चा होगी। महिला जनप्रतिनिधि मातृ स्वास्थ्य निधि में कटौती की आशंका होने पर इसके लिए आवाज उठाती हैं। वे उन नीतियों के लैंगिक प्रभाव को उजागर करती हैं, जिनका व्यवहार में सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ सकता है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की उन चिंताओं को सामने लाती हैं, जिनसे उनके पुरुष सहकर्मियों का सामना नहीं होता। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मतलब यह है कि पहली बार ये आवाजें अपवाद नहीं रहेंगी। ये आवाजें ढांचागत व्यवस्था का हिस्सा होंगी।

नारी शक्तिः सोच से कानून तक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह मानना है कि भारत अपनी महिलाओं की पूर्ण और बराबरी की भागीदारी के बिना अपनी पूरी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर सकता। यह महज एक बयानबाजी भर नहीं, बल्कि एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जिसने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से लेकर 'जन धन', 'उज्ज्वला' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी वाली नीतियों को दिशा दी है। उन्होंने नारी शक्ति को केवल एक नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत का आधार बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह सोच महिला सशक्तिकरण को कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़ाकर शासन की संरचना में समाहित करती है।

एक न्यायप्रिय राष्ट्र के रूप में

सितंबर 2023 में इतिहास रचा गया था। लेकिन इतिहास सार्थक तभी होता है जब उसके बाद की घटनायें भी मायने रखें। एक न्यायप्रिय देश अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करके चुपचाप एक चिरस्थायी बदलाव को संभव बनाता है। अपने देश की सेवा करने की आकांक्षा रखने वाली हर युवती, मंच से हमेशा वंचित रहने वाली हर नेता और अभिव्यक्त होने से वाचित हर आवाज के हित में, अब काम करने का समय है। इस कानून को लागू कीजिए। दायरे का विस्तार कीजिए।

सभी दलों के अपने साथियों से

यह क्षण हम सभी का है। यह मौका किसी एक दल का नहीं, बल्कि एक संस्था के रूप में संसद का है। सरकार के हर स्तर पर इस राष्ट्र की सेवा करने वाली एक महिला के रूप में, मैं सभी से अपील करती हूं और मेरा मानना है कि हम सभी भारत के लोकतंत्र को मजबूत और अधिक पूर्ण देखना चाहते हैं। भारत की महिलाओं के प्रति हमारा अब यह कर्तव्य है कि हम जनगणना कराने, परिसीमन के कार्य को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में तत्परता बरतें कि इस प्रक्रिया में एक भी दिन अनावश्यक रूप से बर्बाद न हो। मैं कार्यान्वयन, आरक्षित सीटों के चक्रण (रोटेशन), परोक्ष (प्रॉक्सी) उम्मीदवारों और सनसेट क्लॉज से जुड़ी चिंताओं से अवगत हूं। ये जायज बहसें हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। सिद्धांत सही है। जरूरत तत्परता की है। हमें पूर्णता को परिवर्तनकारी कदमों के आड़े नहीं आने देना चाहिए।

(लेखिका केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्यमंत्री हैं)

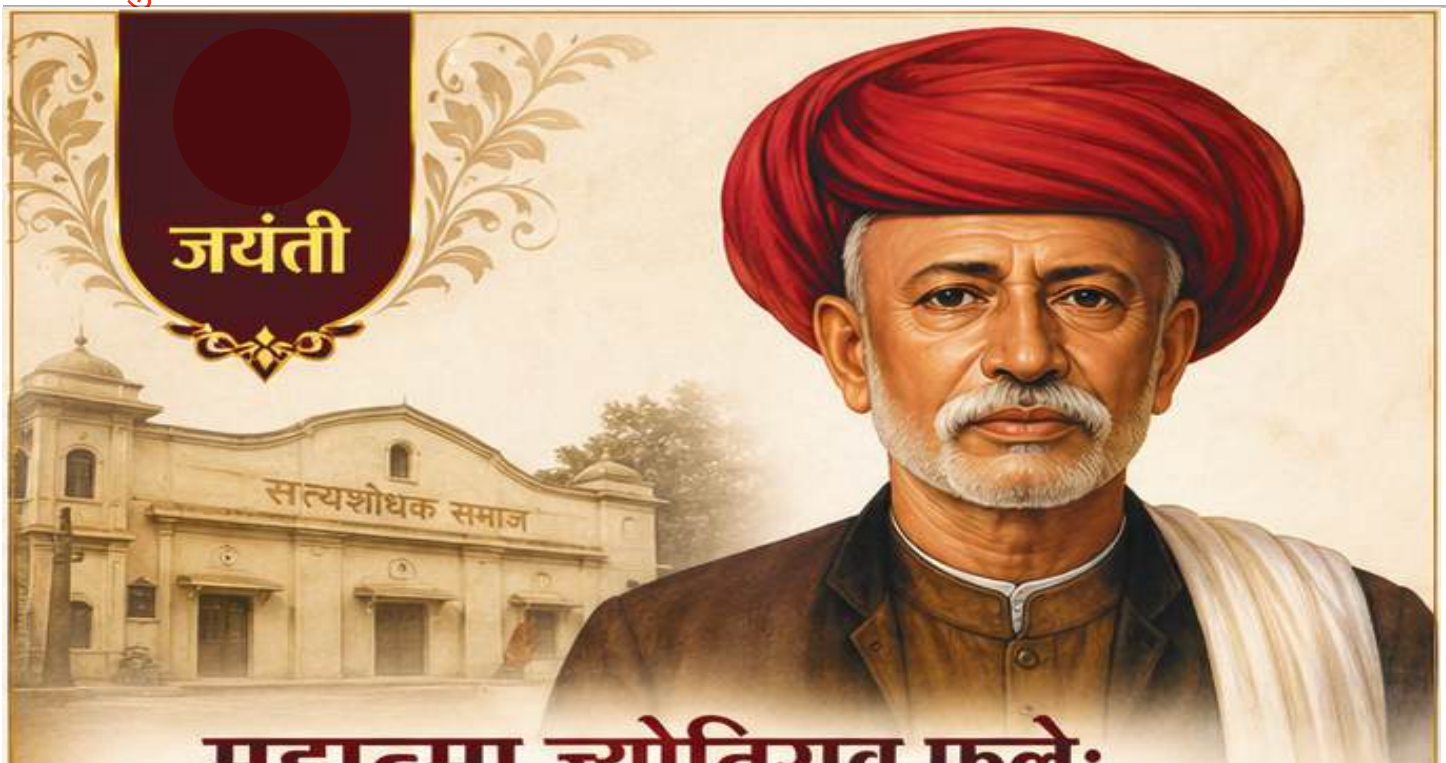

महात्मा ज्योतिराव फुले: भारत के दिव्य पथ-प्रदर्शक

-नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री

"11 अप्रैल हम सभी के लिए बहुत विशेष दिन है। आज भारत के महान समाज सुधारकों में से एक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म-जयंती है। इस वर्ष यह अवसर और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके 200वें जयंती वर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। महान समाज सुधारक महात्मा फुले का जीवन नैतिक साहस, आत्म चिंतन और समाज के हित के लिए अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। महात्मा फुले को केवल उनकी संस्थाओं या आंदोलनों के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उन्होंने लोगों के मन में जो आशा और आत्मविश्वास जगाया, उसका व्यापक प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। उनके विचार देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज हैं।

महात्मा फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र में एक बहुत साधारण परिवार में हुआ। लेकिन शुरुआती चुनौतियां कभी उनकी शिक्षा, साहस और समाज के प्रति समर्पण को नहीं रोक पाईं। उन्होंने हमेशा यह माना कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उन्हें अनदेखा करना चाहिए। बचपन से ही महात्मा फुले बहुत जिज्ञासु थे और अपनी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक पुस्तकें पढ़ते थे। वो कहते भी थे, ''हम जितना ज्यादा सवाल करते हैं, उनसे उतना ही अधिक ज्ञान निकलता है।'' साफ है कि बचपन से मिली जिज्ञासा उनकी पूरी यात्रा में बनी रही।

वंचित वर्ग के लिए स्कूल-

महात्मा फुले के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मिशन बनी। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। जब समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब उन्होंने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए स्कूल खोले। वे कहते थे, 'बच्चों में जो सुधार मां के माध्यम से आता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर स्कूल खोले जाएं, तो सबसे पहले लड़कियों के लिए खोले जाएं।' उन्होंने शिक्षा को न्याय और समानता का माध्यम बनाया। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें आज भी बहुत प्रेरित करता है। पिछले एक दशक में भारत ने युवाओं के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बहुत प्राथमिकता दी है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें युवा सवाल पूछने, नई चीजें सीखने और इनोवेशन के लिए प्रेरित हों। ज्ञान, कौशल और अवसरों में निवेश करके भारत अपने युवाओं को देश की प्रगति का आधारस्तंभ बना रहा है।

बीमारी के बाद भी संघर्ष जारी रहा-

उनका व्यक्तिगत जीवन भी साहस की मिसाल रहा। लगातार लोगों के बीच रहकर काम करने का असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। लेकिन गंभीर बीमारी भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकी। एक गंभीर स्ट्रोक के बाद भी उन्होंने अपना काम और समाज के लिए संघर्ष जारी रखा। उनका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण कभी नहीं डगमगाया। आज भी करोड़ों लोग उनके जीवन के इस पहलू से प्रेरणा लेते हैं। महात्मा फुले का स्मरण, सावित्रीबाई फुले के समानजनक उल्लेख के बिना अधूरा है। वह स्वयं भारत की महान समाज सुधारकों में से एक थीं। भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में शामिल सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। महात्मा फुले के निधन के बाद भी उन्होंने इस कार्य को जारी रखा। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने मरीजों की इतनी सेवा की कि वह स्वयं भी इस बीमारी की शिकार हो गईं और उनका निधन हो गया।

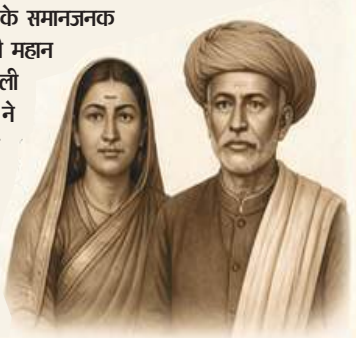

गरीबों को दिलाया सम्मान-

अपने शैक्षिक ज्ञान और बौद्धिकता से महात्मा फुले ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की गहरी जानकारी हासिल की। वे कहते थे कि किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय समाज को कमजोर करता है। उन्होंने देखा कि सामाजिक असमानताएं खेतों और गांवों में लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इसलिए उन्होंने गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को समान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी हरसंभव प्रयास किए। महात्मा फुले ने कहा था, 'जोपर्यंत समाजातील सर्वांना समान अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत खरे स्वातंत्र्य मिळत नाही' यानी जब तक समाज के सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। उनका सत्यशोधक समाज, आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन सामाजिक सुधार, सामुदायिक सेवा और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा था। यह महिलाओं, युवाओं और गांवों में रहने वाले लोगों की पुरजोर आवाज बना। यह आंदोलन उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि समाज की मजबूती के लिए न्याय, हर व्यक्ति के प्रति समान और सामूहिक प्रगति जरूरी है।

बदलाव के बने माध्यम-

भारतभूमि बार-बार ऐसी महान विभूतियों से धन्य होती रही है, जिन्होंने अपने विचार, त्याग और कर्म से समाज को मजबूत बनाया है। उन्होंने बदलाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वयं बदलाव का माध्यम बने। सदियों से हमारे देश में समाज सुधार की आवाज उन्हीं लोगों से उठी है, जिन्होंने पीड़ा को भाग्य नहीं माना, बल्कि उसे खत्म करने के प्रयासों में जुटे रहे। महात्मा ज्योतिराव फुले भी ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। मुझे 2022 में पुणे की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने शहर में महात्मा फुले की भव्य प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उनके 200वें जयंती वर्ष की शुरुआत पर हम उनके विचारों को अपनाकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें शिक्षा के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। अन्याय के प्रति संवेदनशील बनना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि समाज अपने प्रयासों से ही खुद को बेहतर बना सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज की शक्ति को जनहित और नैतिक मूल्यों से जोड़कर भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। यही कारण है कि आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों में नई उमीद जगाते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले 200 साल बाद भी केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के मार्गदर्शक बने हुए हैं।

"शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, और न्याय ही समाज की सच्ची नींव है।"

क्या फीकी रहेगी iPhone 18 की चमक?

एप्पल की नई 'कॉस्ट-कटिंग' रणनीति पर चर्चा

बढ़ती लागत के बीच कीमतों को स्थिर रखने की चुनौती; अगले साल हार्डवेयर में कटौती कर सकती है एप्पल

कैलिफोर्निया/टेक डेस्क। स्मार्टफोन की दुनिया में हर साल अपने अपग्रेड्स हलचल मचाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल (Apple) अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। हालिया लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 में उम्मीद के मुताबिक बड़े अपग्रेड्स देखने को नहीं मिलेंगे। बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों को संतुलित करने के लिए कंपनी 'कॉस्ट-कटिंग' (लागत में कटौती) का सहारा ले सकती है।

हार्डवेयर में 'डाउनग्रेड' की संभावना कहाँ?

चिपसेट और रैम:
रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्पादन लागत कम करने के लिए एप्पल स्टैंडर्ड मॉडल के चिपसेट स्पेसिफिकेशन और रैम (RAM) की क्वालिटी में बदलाव कर सकती है।

विनिर्माण प्रक्रिया:
वीबो (Weibo) पर आए एक लीक के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि इनपुट कॉस्ट को घटाया जा सके।

iPhone 18e से समानता:
माना जा रहा है कि इन कटौतियों के बाद स्टैंडर्ड मॉडल का अनुभव कंपनी के बजट-फ्रेंडली 'iPhone 18e' के करीब हो सकता है।

निष्कर्ष: क्या यूजर्स होंगे निराश?

iPhone 17 ने 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और बेहतर स्टोरेज के साथ अपेक्षाएं काफी बढ़ा दी हैं। ऐसे में यदि iPhone 18 में हार्डवेयर डाउनग्रेड किया जाता है, तो यह उन टेक-प्रेमियों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो हर साल नए और शक्तिशाली हार्डवेयर की उम्मीद करते हैं। हालाकि, आम ग्राहकों के लिए कीमत का स्थिर रहना एक राहत की खबर हो सकती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

रणनीति में बदलाव: एप्पल अब 'फीचर-फोकस्ड' के बजाय 'वैल्यू-फोकस्ड' अप्रोच अपना सकती है।

कॉम्पोनेंट लागत: NAND और RAM की बढ़ती कीमतों ने एप्पल को हार्डवेयर में कटौती करने पर मजबूर किया है।

भारतीय बाजार: iPhone 17 के भारत में लॉन्च होने पर कीमतों में ₹ 3,000 की मामुली वृद्धि देखी गई थी, लेकिन iPhone 18 में ऐसी बढ़ोतरी की संभावाना कम है।

यूएस प्राइसिंग: अमेरिका में $799 की बेस प्राइस को बरकरार रखने के लिए कंपनी स्पेसिफिकेशन्स के साथ समझौता कर सकती है।

निष्कर्ष: क्या यूजर्स होंगे निराश?

iPhone 17 ने 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और बेहतर स्टोरेज के साथ अपेक्षाएं काफी बढ़ा दी है। ऐसे में यदि iPhone 18 में हार्डवेयर डाउनग्रेड किया जाता है, तो यह उन टेक-प्रेमियों के लिए निरशाजनक हो सकता है जो हर साल नए और शकिशाली हार्डवेयर की उम्मीद करते हैं। हालांकि, आम ग्राहकों के लिए कीमत का स्थिर रहना एक राहत की खबर हो सकती है।

यह रिपोर्ट वर्तमान में उपलब्ध लीक्स और बाजार विशेषज्ञों के विश्लेपण पर आधारित है। अंतिम स्पेसिफिकेशन्स एप्पल की आधिकारिक घोपणा के बाद ही स्पष्ट होंगें।

120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले	A19 चिपसेट	RAM संभवित कटौती	कॉस्ट-कर्टिंग रणनीति	कीमतें स्थिर रखने का लक्ष्य

ऑटो एक्सपो:

हुंडई ने पेश की अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक 'Ioniq 3'

496 किमी की रेंज और 'एयरो हैच' डिजाइन के साथ वैश्विक बाजार में धूम मचाने को तैयार; जानें क्या है खास

मिलान/मिलान डिजाइन वीक 2026। दक्षिण कोरियाई दिग्गज ऑटोमोवाइल कंपनी हुंडई (Hyundai) ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में अपनी पकड़ और मकबुत करने के लिए 'Ioniq 3' से पर्दा उडा दिया है। मिलान डिजाइन वीक 2026 में पेश की गई यह नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक, हुंडई के प्रतिष्ठित 'Ioniq' परिवार की सबसे सुलभ और छोटी सदस्य है। इसे विशेष रूप से यूरोपीय बाजारों की दैनिक गतिशीलता और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

डिजाइन: 'आर्ट ऑफ स्टील' और एयरोडायनाविक्स का संगम

- Ioniq 3 का डिजाइन 'कॉन्सेप्ट सी' का उत्पादन संस्करण है, जिसे 2025 में प्रदर्शित किया गया था। हुंडई ने इसे 'Aero Hatch' का नाम दिया है।
- **एयरोडायनामिक दक्षता:** इसका ड्रैग कोफिशिएंट (0.263 Cd) अपनी क्लास में सर्वश्रेष्ठ होने की उम्मीद है।
- **एक्सटीरियर:** इसमें पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल, और मोर्स कोड में 'H' लोगों जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।
- **N-Line वेरिएंट:** ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहने वालों के लिए N-Line मॉडल में ब्लैक-आउट बंपर और विशेष बैजिंग दी गई है।
- **आयाम:** इसकी लंबाई 4,155 मिमी (बैस) और व्हीलबेस 2,740 मिमी है, जो एक विशाल केबिन का संकेत देता है।

इंटीरियर और तकनीक: पहली बार 'Pleos Connect' सिस्टम

- Ioniq 3 यूरोप में हुंडई का पहला मॉडल है जो Android Automotive OS (AAOS) पर आधारित 'Pleos Connect' इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है।
- **डिस्प्ले:** वेरिएंट के आधार पर 12.9-इंच या 14.6-इंच की सेंट्रल स्क्रीन दी गई है।
- **स्पेस और कम्फर्ट:** फ्लैट-फ्लोर लेआउट के कारण यात्रियों को पर्याप्त लेगरूम मिलता है। इसमें 441 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (डिग्गी) दिया गया है।
- **प्रीमियम फीचर्स:** वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, बोस (Bose) प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और हीटेड 'रिलैक्सेशन' सीटें।
- **V2L तकनीक:** इसमें 'व्हीकल-टू-लोड' (V2L) फंक्शनलिटी दी गई है, जिससे आप कार की बैटरी से अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चला सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर

मुफ्त बिजली योजना

अपने घर पर सोलर प्लांट लगवाएँ
और मुफ्त बिजली का लाभ उठाएँ।

उपभोक्ता से बनें
ऊर्जादाता

3 KW सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन
अनुमानित लागत
Rs 1,80,000/- से
Rs 2,10,000/- तक

सरकारी सब्सिडी
Rs 1,08,000/-

न्यूनतम ब्याज दर पर
बैंक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध

सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हेतु संपर्क करें

मेसर्स- अभिलाष अग्रवाल

सरकार द्वारा अधिकृत सोलर वेंडर

महावीर बिजनेस पार्क, गंजपारा-दुर्ग

88714-33224

Bilaspur
Raipur
Durg